संख्या–2986 / 9–1–16–185सा / 10टीसी

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय निदेशालय,उ0प्र0,
लखनऊ।

(2) समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0।

(3) समस्त जिलाधिकारी,उ0प्र0।

(4) समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–1

लखनऊःदिनांक 13 अक्टूबर,2016

विषय–प्रदेश के नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती/नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–2021/9–1–16–185 सा/10 टीसी, दिनांक 04 जुलाई, 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागर निकायों में सफाई कार्मिकों की संविदा पर भर्ती/नियुक्ति में आरक्षण के संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (यथासंशोधित), उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) एवं महिलाओं के लिए आरक्षण के संबंध में शासनादेश संख्या–18/1/99/का–2/1999, दिनांक 26 फरवरी, 1999 तथा अन्य सुसंगत अधिनियम/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
13/10/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत, उ0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।